इंदिरा आवास योजना

मंत्रालय

ग्रामीण विकास मंत्रालय

के बारे में

इंदिरा आवास योजना, बेघर गरीब परिवारों और जीर्ण तथा कच्चे घरों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ भूमिहीन गरीबों के लिए हाउस साइट उपलब्ध कराने हेतु एक सार्वजनिक आवास योजना है।

लाभ

- नए घर के निर्माण हेतु सहायता।
- कच्चे अथवा जीर्ण मकान का अपग्रेडेशन।
- हाउस साइट का प्रावधान
- विशेष परियोजनाएं:
    - प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास।
    - हिंसा, कानून और व्यवस्था की समस्या से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास।
    - मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और मैला ढोने वालों को बसाना।
    - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को बसाना।
    - सिलिकोसिस, अभ्रक जैसे व्यावसायिक रोग, अत्यधिक कीटनाशक आदि के प्रयोगसे प्रभावित अथवा काला जार जैसी महामारी से प्रभावित लोगों का पुनर्वास।
    - अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी परिवारों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 , जिन्हें आमतौर पर एफबीआर लाभार्थी के रूप में जाना जाता है, को बसाना।
    - अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास वाले जिलों के विस्थापित लोगों को बसाना।
    - नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन - विशेष रूप से सस्ती और हरी प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने हेतु।

पात्रता

केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://iay.nic.in/netiay/IAY%20revised%20guidelines%20july%202013.pdf

अथवा स्थानीय पंचायत से संपर्क करें